प्रेस नोट जब्तीकरण थाना शिकोहाबाद दिनांक 31-01-2025 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में हत्या का प्रयास, मारपीट, चोरी व चोरी का सामान प्राप्त करने एवं संगठित गिरोह बनाकर मोबाइल फोन चोरी करना व चोरी के मोबाइल फोन की अवैध खरीद-फरोख्त जैसे अपराध कारित करने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र शिव सिंह की थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा संगठित अपराध के तहत बीएनएसएस0 की धारा 107(6) के अन्तर्गत मूल्य 8,50,000.00 रूपये (08 लाख 50 हजार रूपये) की चल सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही गयी।

- **अभियुक्त प्रमोद के विरुद्ध संगठित अपराध की धारा 111(2)(बी) के तहत थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।**

- **शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा नये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस0), 2023, धारा की 107(6) के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में प्रथम बार जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।**

- **अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में गम्भीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत....**

- **फिरोजाबाद पुलिस जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने के प्रति है कटिबद्ध....**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अभ्यस्त / गम्भीर अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध धारा 107 (6) बीएनएसएस0 के तहत की जा रही कार्यवाही के क्रम में शातिर अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी नगला बड़ा मिर्जा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद द्वारा लगातार गम्भीर अपराध कारित करते हुए कई अवैध चल / अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है। इसी क्रम में आज दिनाँक 31-01-2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अखिलेश भदौरिया के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद श्री प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 702/2024 धारा 35/106 बीएनएसएस व

317(2)/317(5)/111(2)(b) बीएनएस0 के तहत कार्यवाही करते हुए बीएनएसएस0 की धारा 107(6) के अंतर्गत मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के आदेशानुसार प्रमोद की कुल 8,50,000.00 रूपये (08 लाख 50 हजार रूपये) की चल सम्पत्ती (धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत सीज वाहन XUV नं0 UP-83-BQ-4148) की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

क्र0सं	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मुल्यांकन (रूपयों में)
1	प्रमोद कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी नगला बड़ा मिर्जा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।	महेन्द्रा एक्सयूवी कार यूपी 83 बी क्यू 4148	8,50,000/- रूपये

अभियुक्त प्रमोद कुमार का आपराधिक इतिहासः—

1. मु0अ0सं0 655/2023 धारा 41/102 सीआरपीसी0 एंव 414 भादवि0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 698/2024 धारा 304 /317(2)बीएनएस0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 702/2024 धारा 35/106 बीएनएसएस व 317(2)/317(5)/111(2)(b) बीएनएस0 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
4. मु0अ0स0 594/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
5. मु0अ0स0 121/16 धारा 304 बी /498ए भादवि व ¾ द0प्र0अधि0 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
6. मु0अ0स0 399/20 धारा 353/427/504/506 भादवि0 व 138 वि0अधि0 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
7. मु0अ0स0 400/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
8. मु0अ0स0 655/23 धारा 41/102 सीआरपीसी व 307/414 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।